निगम के पर्यटक आवास गृह, सूखाताल, जिला नैनीताल/ पर्यटक आवास गृह, चिलियानौला, जिला–अल्मोड़ा/पर्यटक आवास गृह, कौसानी, जिला– बागेश्वर/ पर्यटक आवास गृह, चौकोड़ी, जिला–पिथौरागढ़ / परिचय, जिला नैनीताल परिसर में निर्मित स्पा एवं पंचकर्मा केन्द्र को वार्षिक किराये आधार पर संयुक्त रूप से दिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र ।

नियम व शर्ते

1– निविदा प्रपत्र निगम मुख्यालय, कार पार्किंग, सूखाताल, नैनीताल में निर्धारित शुल्क रू0 2,000/– (जीएसटी सहित) का भुगतान कर दिनॉक 01.08.2021 समय सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जाना है, जिसकी रसीद निविदा के तकनीकी भाग के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी ।

2– पर्यटक आवास गृह, सूखाताल, जिला नैनीताल / पर्यटक आवास गृह,चिलियानौला, जिला–अल्मोड़ा/ पर्यटक आवास गृह, कौसानी, जिला– बागेश्वर/ पर्यटक आवास गृह, चौकोड़ी, जिला–पिथौरागढ़/ परिचय, जिला नैनीताल में निर्मित स्पा एवं पंचकर्मा परिसर को 05 वर्ष के लिये व्यवसायिक संचालन में दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। कार्य संतोषजनक होने पर अनुबन्ध की अवधि को 02 वर्षों तक बढ़ाये जाने हेतु निगम प्रबन्धन द्वारा विचार किया जायेगा ।

3– निविदा की धरोहर राशि रू0 50,000/– का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो कि प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक हो निविदा के तकनीकी भाग के साथ मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा ।

4– सफल निविदादाता को निगम द्वारा मात्र स्थल/परिसर में स्पा एवं पंचकर्मा हेतु उपकरण व फर्नीचर उपलब्ध कराया जायेगा, अनुबन्ध की समाप्ति पर संचालनकर्ता को उक्त उपकरण एवं फर्नीचर उसी दशा में निगम को वापस किया जाना होगा । पंचकर्मा एवं स्पा केन्द्र जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में दिये जायेंगे ।

5– सफल निविदादाता द्वारा उपयोग किये जाने वाले जल एवं विद्युत बिल तथा नगरपालिका परिषद से सम्बन्धित समस्त टैक्स आदि का भुगतान स्वंय वहन किया जायेगा । जल एवं विद्युत संयोजन हेतु सफल निविदाकार को निगम से एनओसी प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी । अनुबन्ध की शर्तो का पालन न किये जाने की दशा में निगम द्वारा उक्त एनओसी को निरस्त कर दिया जायेगा ।

6– स्थल का उपयोग स्पा एवं पंचकर्मा सम्बन्धी गतिविधियों के लिये ही किया जायेगा एवं संचालनकर्ता द्वारा स्पा एवं पंचकर्मा हेतु कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक की ही तैनाती की जानी अनिवार्य है ।

7– संचालनकर्ता द्वारा अंकित वार्षिक निविदा धनराशि का 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि को एफ0डी0आर0 जो कि प्रबन्ध निदेशक महोदय के नाम बन्धक हो, जमानत के रूप में अनुबन्ध गठन के समय निगम मुख्यालय में जमा की जानी अनिवार्य होगी । जमानत धनराशि संचालनकर्ता को अनुबन्ध समाप्ति के तीन माह के पश्चात, प्रदान की गई सामग्री की जांच के उपरान्त ही वापस की जायेगी । अनुबन्ध की शर्तो का पालन न किये जाने की दशा में प्रबन्ध निदेशक, कु0म0वि0नि0 को जमानत धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा ।

8– संचालनकर्ता द्वारा प्रत्येक माह का किराया अग्रिम, माह की 07वीं तिथि से पूर्व निगम में जमा किया जाना अनिवार्य होगा । 07 तारीख के पश्चात किराया बिलम्ब से प्राप्त होने की दशा में किराये की राशि पर प्रतिदिन रू0 500/– अर्थदण्ड लगेगा तथा माह की 25 तारीख तक किराया न जमा किये जाने की दशा में प्रबन्ध निदेशक, कु0म0वि0नि0 को अनुबन्ध निरस्त करते हुए जमानत धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा ।

9– अनुबन्ध इत्यादि से सम्बन्धित सभी समस्त व्यय व राज्य सरकार/अन्य विभागों से अनुमति पत्र/लाइसेन्स प्राप्त किये जाने सम्बन्धी समस्त व्यय संचालनकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे ।

10– संचालनकर्ता द्वारा किराये की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देना होगा ।

11– किराये में प्रत्येक 02 वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी ।

12– संचालनकर्ता स्पा एवं पंचकर्मा परिसर को स्वच्छ रखेगा तथा किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों व अवांछित व्यक्तियों को परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही परिसर के अन्तर्गत कोई अवैध कियाकलाप संचालित किये जायेंगे, कोई भी अवांछित गतिविधियों के पाये जाने पर एक माह के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा । संचालनकर्ता द्वारा श्रम कानून/अधिनियमों के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

13– किसी भी प्रकार की आपदा या ऐसी गतिविधि जो निगम के नियंत्रण में न हो, आने पर, होने वाली क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा ।

14– संचालनकर्ता द्वारा स्पा एवं पंचकर्मा परिसर में संचालन अवधि में किसी भी अन्य फर्म/व्यक्ति को व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

15– संचालनकर्ता द्वारा स्पा एवं पंचकर्मा परिसर की मरम्मत एवं रंगाई–पुताई या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य या कोई निर्माण कार्य किया जायेगा तो उसकी अनुमति संचालनकर्ता द्वारा निगम से पृथक से प्राप्त करनी होगी तथा उक्त से सम्बन्धित समस्त व्यय भार संचालनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा । सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी ।

16– यथा समय शर्त संख्या 05 के अनुसार धनराशि जमा न किये अथवा समय पर किराया जमा न करने की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

17– प0आ0गृह,सूखाताल/प0आ0गृह, चिलियानौला /प0आ0गृह, कौसानी/प0आ0गृह, चौकोड़ी/ प0आ0गृह, परिचय में निर्मित स्पा एवं पंचकर्मा परिसर को किराये पर दिये जाने हेतु वार्षिक न्यूनतम राशि रू0 8.50 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) निर्धारित की गयी है । निर्धारित राशि से अधिक अंकित की गयी निविदायें ही मान्य होंगी ।

18– निविदादाता द्वारा निविदा के तकनीकी भाग के साथ पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

19– निविदाकार द्वारा निविदा के साथ रू0 100/– का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 के रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

20– इस निविदा एवं संचालन के समय किसी भी प्रकार के विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र नैनीताल होगा ।

21– निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता को निविदा प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये निविदा प्रपत्र 1 (तकनीकी निविदा) जिसमें सम्बन्धित निविदादाता निविदा में प्रतिभाग करने के लिए न्यूनतम अर्हताओं का विवरण एवं समस्त आवश्यकीय प्रपत्र संलग्न करने होंगे तथा प्रपत्र 2 (वित्तीय निविदा) को पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द कर उनके बाहर से निविदाकर्ता अपना /संस्था का नाम व प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 का अंकन करते हुए दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर बड़े लिफाफे के बाहर निगम के पर्यटक आवास गृह, सूखाताल, जिला नैनीताल/ पर्यटक आवास गृह, चिलियानौला, जिला–अल्मोड़ा/पर्यटक आवास गृह, कौसानी, जिला– बागेश्वर/ पर्यटक आवास गृह, चौकोड़ी, जिला–पिथौरागढ़ / परिचय, जिला नैनीताल परिसर में निर्मित स्पा एवं पंचकर्मा केन्द्र हेतु निविदा शीर्षक अंकित करते हुए व्यक्तिगत रूप से निगम मुख्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व निविदा बॉक्स में

डाली जानी होंगी । निविदा हेतु नियम तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

22– निविदायें दिनॉक 02.08.2021 को अपराह्न 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 02.08.2021 को अपराह्न 03.00 बजे खोली जायेंगी ।

23– निविदायें निविदा बॉक्स में दिनॉक 02.08.2021 को निगम मुख्यालय, कार पार्किंग, सूखाताल में अपराह्न 02.00 बजे तक डाली जानी होगी । विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।

24– कुमाऊँ मण्डल विकास निगम व सफल निविदाकर्ता के मध्य परिसर के संचालन हेतु अनुबन्ध किया जायेगा तथा विस्तृत शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा ।

25– संचालनकर्ता द्वारा स्पा एवं पंचकर्मा सेन्टर को अन्य को संचालन हेतु हस्तगत नहीं किया जायेगा ।

26– निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता की तकनीकी निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में निविदादाता के निविदा के वित्तीय भाग को नहीं खोला जायेगा ।

27– निविदा प्रेषित करने से पूर्व निविदादाता स्पा एवं पंचकर्मा स्थलों का निरीक्षण कर स्वयं के हित में ही निविदा भरें । बाद में निविदादाता का इस सम्बन्ध में कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा ।

28– किसी भी चरण में निविदा को निरस्त करने, एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रवन्ध निदेशक,कु0म0वि0नि0 के पास सुरक्षित होगा ।

29– निविदादाता द्वारा बिन्दु सं0 17 में उल्लिखित पॉचों स्थानों हेतु निविदा में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।

30– अन्य शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा ।

—

निगम के पर्यटक आवास गृह, सूखाताल, जिला नैनीताल/ पर्यटक आवास गृह, चिलियानौला, जिला–अल्मोड़ा/पर्यटक आवास गृह, कौसानी, जिला– बागेश्वर/ पर्यटक आवास गृह, चौकोड़ी, जिला–पिथौरागढ़ / परिचय, जिला नैनीताल परिसर में निर्मित स्पा एवं पंचकर्मा केन्द्र को वार्षिक किराये आधार पर संयुक्त रूप से दिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र 01 (तकनीकी निविदा)

(1)	आवेदक का नाम (निजी व्यक्ति एवं फर्म)	
	पिता/पति का नाम	
	पूरा पता	
	मोबाइल नं0	
(2)	जी0एस0टी0 नं0 (संलग्न करें)	
(3)	पैन कार्ड नं0 (संलग्न करें)	
(4)	रू0 100/– का स्टाम्प मय रू0 1 रैवन्यू टिकट (मूल में संलग्न करें)	
(5)	निविदा शुल्क जमा की रसीद संख्या /दिनॉक (संलग्न करें)	
(6)	धरोहर राशि रू0 50,000 की एफ0डी0आर0 का विवरण (मूल में संलग्न करें)	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य हैं । यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मॉगा जायेगा तो उसको उपलब्ध कराऊँगा/करायेंगे । मैने/हमने सम्बन्धित निविदा प्रपत्र की सम्पूर्ण शर्तें पढ़ ली हैं और मैं /हम इनको स्वीकार करता/करते हैं ।

प्रस्तावक/आवेदक के हस्ताक्षर

निगम के पर्यटक आवास गृह, सूखाताल, जिला नैनीताल/ पर्यटक आवास गृह, चिलियानौला, जिला–अल्मोड़ा/पर्यटक आवास गृह, कौसानी, जिला– बागेश्वर/ पर्यटक आवास गृह, चौकोड़ी, जिला–पिथौरागढ़ / परिचय, जिला नैनीताल परिसर में निर्मित स्पा एवं पंचकर्मा केन्द्र को वार्षिक किराये आधार पर संयुक्त रूप से दिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र 02 (वित्तीय निविदा)

वार्षिक किराये की निविदित धनराशि	..........................+(जी0एस0टी0 अतिरिक्त) शब्दों में:..................................
प0आ0गृह, सूखाताल/प0आ0गृह, चिलियानौला /प0आ0गृह, कौसानी/प0आ0गृह, चौकोड़ी/ प0आ0गृह, परिचय में निर्मित स्पा एवं पंचकर्मा परिसर को किराये पर दिये जाने हेतु वार्षिक न्यूनतम राशि 8.50 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) निर्धारित की गयी है ।	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य हैं । यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मॉगा जायेगा तो उसको उपलब्ध कराऊँगा/करायेंगे। मैने/हमने सम्बन्धित निविदा प्रपत्र की सम्पूर्ण शर्ते पढ ली हैं और मैं /हम इनको स्वीकार करता/करते हैं ।

प्रस्तावक/आवेदक के हस्ताक्षर